न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 29/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
दुरजनसिंह पुत्र भींवसिंह जाति राजपूत निवासी पीपासर तहसील व जिला नागौर		1 सम्पतकंवर पत्नी गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीपासर तहसील व जिला नागौर। 2 ग्राम पंचायत सेवडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सेवडी तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

2 श्री राधेश्याम सांगवा, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

दिनांक 25.10.2023

निर्णय

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पंचायत समिति नागौर, ग्राम पंचायत सेवडी द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 21.10.14 व पट्टा जो कि मिसल संख्या 01/2014–15 के जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.07.21 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 12.07.21 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री राधेश्याम सांगवा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत सेवडी की पत्रावली संख्या 01/2014–15 की फोटोप्रति, बैठक कार्यवाही रजिस्टर की फोटोप्रति, एसडीएम नागौर की पत्रावली संख्या 07/94 सरकार बनाम गुमानसिंह की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने समर्थन मे सिविल जज नागौर को प्रस्तुत चैन सिंह बनाम रतनसिंह की दावे की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 09.05.21 की फोटोप्रति, न्यायालय सब डिविजन मजिस्ट्रेट के प्रकरण संख्या 07/94 के आदेश दिनांक 15.10.19 की फोटोप्रति, एसडीएम नागौर के पत्र दिनांक 05.12.19 की फोटोप्रति, एसएचओ श्रीबालाजी के पत्र दिनांक 12.11.19 की फोटोप्रति, फर्द सुपुर्दगी दिनांक 07.11.19 की फोटोप्रति, तहसीलदार नागौर के पत्र दिनांक 01.10.19 की फोटोप्रति, बयान गवाह दिनांक 28.09.19 की फोटोप्रति, एसएचओ श्रीबालाजी के पत्र दिनांक 16.09.19 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 02.08.14 को ग्राम पीपासर में स्थित गुरू जम्भेश्वर मन्दिर व परिसर के उत्तर में स्वयं की पैतृक भूमि होना बताकर आवासीय पटटा जारी करने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर मिसल नम्बर 01/2014–15 दर्ज की गई जिस पर प्रक्रिया पूर्ण करना बताते हुए दिनांक 21.10.14 को अप्रार्थी सख्या एक के नाम से पटटा जारी करने का प्रस्ताव संख्या 2 पारित करते हुए पट्टा जारी कर दिया जबकि जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक का किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं था। उक्त भूमि के संबंध में न्यायालय उप जिला दण्डनायक नागौर के समक्ष एक फौजदारी प्रकरण संख्या 7/94 अन्तर्गत धारा 145 सीआर.पी.सी. का पेश हुआ जिसमें दिनांक 9.2.1994 को उक्त भूमि सहित अन्य भूमि को तुरन्त प्रभाव से कुर्क कर तहवील बहक राज्य सरकार के लिये जाने का आदेश पारित किया व एसएचओ पुलिस थाना श्रीबालाजी को रिसीवर नियुक्त करते हुए विवादित भूमि अपने कब्जे में लेने का आदेश पारित किया जिस पर एसएचओ श्रीबालाजी द्वारा उक्त भूमि को बतौर रिसीवर के अपने कब्जे में ले लिया तब से उक्त भूमि पर कब्जा रिसीवर का रहता आया। किसी भी प्रकार से कब्जा व उपयोग अप्रार्थी संख्या एक का नहीं रहा व न ही किसी प्रकार का निर्माण ही किया हुआ था तथा उक्त भूमि पूर्ण रूप से खाली रही तथा रिसीवर के कब्जे में रही जो सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार कब्जे में रही तथा शुरू से ही रिसीवर का कब्जा रहता आया है तथा किसी भी न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को कुर्क मुक्त नहीं किया गया बल्कि प्रस्तुत निगरानी भी निरस्त हो गयी थी तथा उक्त भूमि दिनांक 15.10.19 तक कुर्क रही तथा थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीबालाजी के आधिपत्य में रही तो दिनांक 09.02.1994 से निरन्तर रही है इसलिए किसी अन्य का कब्जा होना किसी प्रकार से संभव नहीं था फिर भी गलत रूप से तथ्य छिपाते हुए पटटा हेतु आवेदन पेश कर पटटा जारी करवा लिया। जिसकी जानकारी प्रार्थी को नही हुई। अभी हाल ही में प्रार्थी के पिता की कब्जा सुदा स्वामित्व की जायगा पर अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्रगण द्वारा कोविड–19 के लोक डाउन का फायदा उठाकर कब्जा कर निर्माण करवाने पर उतारू हुए जिस पर प्रार्थी के पिता ने एक दीवानी वाद पेश किया जिसमें अप्रार्थी संख्या एक के पुत्रगण द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के नाम से पटटा जारी होने व भूमि को कुर्क मुक्त कर कब्जा सुपुर्द करने के संबंध में दस्तावेज पेश किये व दौरान बहस कथन किये तो प्रार्थी ने पटटे की पत्रावली इत्यादि जारी करने हेतु आवेदन पेश किया परन्तु दस्तावेज उपलब्ध नहीं

अपर कलक्टर, नागौर

करवाये तत्पश्चात पुनः आवेदन पेश करने पर अभी दिनांक 02.07.2021 को नकल जारी करके दी गई तब सर्व प्रथम उक्त पट्टे की जानकारी हुई इसलिए जानकारी होते ही यह निगरानी पेश की गई।

2(2)–ग्राम पंचायत को 273.33 वर्गगज भूमि का पटटा जारी करने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। ऐसा पटटा जारी करने से पूर्व पंचायत समिति व पंचायत राज विभाग के उच्चाधिकारियो की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है जो किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं की गई तथा बिना अनुमति के ही अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रस्ताव एवं पटटा जारी किया गया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त होने योग्य है।

2(3)– ग्राम पंचायत सेवडी द्वारा आबादी भूमि के निस्तारण हेतु राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के अन्तर्गत जो नियम 141 से 160 तक दिये गये है उनमें से किसी भी नियम की कोई पालना नहीं की व सम्पूर्ण दिये गये नियमो के विपरीत जाकर की गई है इसलिए भी प्रस्ताव एवं पटटा जैर निगरानी नियमो के विपरीत जाकर पारित किया गया होने से विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

2(4)– आवेदन पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर स्थल निरीक्षण हेतु तीन पंचो की समिति नियुक्ति कर 15 दिवस के भीतर गृह स्थल निरीक्षण कर मय नक्शा रिपोर्ट पेश की जानी आवश्यक है जिसके अनुसार पंचो की समिति का गठन किया गया परन्तु नक्शा पंचो द्वारा तैयार नहीं किया गया व न ही ग्राम सेवक व नक्शा नवीस द्वारा कोई हस्ताक्षरित ही किया गया तथा रिर्पोट में कहीं पर भी मकान निर्मित हो ऐसा अंकन नहीं है साथ ही पंचायत सेकेट्री भंवरलाल होना बताया जबकि भंवरलाल वार्ड पंच है तथा कमेटी का सदस्य था परन्तु न तो नक्शा व न ही मौका रिपोर्ट ग्राम सेवक व नक्शा नवीस द्वारा तस्दीक की गई तथा मौके पर किसी प्रकार का कोई मकान निर्मित हो उसका भी कोई अंकन रिपोर्ट में नहीं किया गया व न ही नक्शे में अंकित किया गया इसलिए राजस्थान पंचायत राज अधिनियम व नियम 1996 में पटटे के संबंध में जारी आज्ञापक प्रावधानो की पालना नहीं हुई है व न ही नियम 146 की पालना की गई है इसलिए उक्त पटटा व प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है।

2(5)–पत्रावली में आपति नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया गया तथा एक प्रति पंचायत नोटिस बोर्ड व एक प्रति अन्य सार्वजनिक जगह पर चस्पा करने का आदेश दिया परन्तु केवल पात्र पंचायत कार्यालय पर चस्पा करना बताया गया। सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार की आपति नोटिस न तो चस्पा किया गया व न ही जारी किया गया। साथ ही एक नोटिस जिस जगह का पटटा चाहा गया उस जगह पर चस्पा किया जाना आवश्यक होता है परन्तु चस्पा नहीं किया गया तथा आपति आमंत्रित करने का जो नोटिस जारी किया गया उस पर किसी भी प्रकार का कोई क्रमांक अंकित नहीं है तथा कब चस्पा किया गया इसका भी कोई अंकन नहीं है तथा नोटिस दिनांक 06.09.14 को जारी करना बताया गया नरन्तु चस्पा की कोई तारीख अंकित नहीं है जबकि नियम 148 के अन्तर्गत नोटिस दो प्रतियों में जारी किया जाना व एक प्रति जिस भूमि के संबंध में पटटा चाहा गया है उस पर सहज दृश्य स्थान पर लगायी जाना व दूसरी प्रति परिक्षैत्र के कम से कम 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर अभिलिखित किया जाना आवश्यक है जो एक आज्ञापक प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में जो नोटिस जारी किया गया उस पर न तो पंचायत की मोहर लगी है व ही दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर है व न ही जिस जगह का पटटा चाहा गया उस पर चस्पा की कोई रिपोर्ट है इसलिए पटटा जारी करने के संबंध में दिये गये आज्ञापक प्रावधानो की पालना नहीं की गई है इसलिए भी पटटा व प्रस्ताव जैर निगरानी नियम विरूद्व पारित किये गये होने से अपास्त होने योग्य है।

2(6)–दिनांक 06.10.214 को आपति की अवधि व्यतीत होना अंकित करते हुए के बयान करवाने का अंकन किया गया। जिसमें गवाह के बयान लेना बताया गया तथा उन पर अप्रार्थी संख्या एक के भी अंगुष्ठ निशान करवाये गये तथा बयान फार्म छपे छपाये फार्म है किसी भी प्रकार से विधि अनुसार बयान नहीं लिये गये तथा बिना कार्यवाही किये ही दिनांक 21.10.14 को पटटा जारी करने का प्रस्ताव पटटा जारी कर दिया जबकि नियम 148 के अन्तर्गत नोटिस दो प्रतियो में जारी किया जाना तथा एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर व दूसरी प्रति परिक्षैत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के समक्ष चस्पा की जानी आवश्यक है तथा उनके हस्ताक्षर होना आवश्यक है तथा एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा होना आवश्यक है। प्रस्तावित भूमि पर कोई नोटिस चस्पा किया गया हो ऐसा कोई अंकन पत्रावली में नहीं है व न ही ऐसा कोई नोटिस पत्रावली पर है। साथ ही नक्शा एवं पटटे इत्यादि पर कहीं पर भी ग्राम सेवक हस्ताक्षर नहीं है व न ही नक्शा सेकेट्री द्वारा अथवा ग्राम सेवक द्वारा तस्दीक किया हुआ है व न ही मौके रिपोर्ट ग्राम सेवक द्वारा तस्दीक की गई। ऐसी स्थिति में नियमानुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना किये बिना ही प्रस्ताव व पटटा जारी किया गया है जो विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

2(7)– नियम 157 के तहत केवल मात्र पुरातन मकान का ही पटआ जारी किया जा सकता है जबकि उक्त भूमि पर पुरातन कोई मकान हो ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया तथा उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 9.2.1994 को विवाद होने पर धारा 145 सीआरपीसी के तहत परिवाद पेश किया गया जिसके साथ प्रस्तुत नक्शे में मौके पर किसी प्रकार का कोई मकान निर्माण किया हो ऐसा कोई अंकन नहीं है बल्कि मौके पर भूमि पूर्णतया खाली होना व बाडे के रूप में होना अंकित बल्कि मौके पर भूमि पूर्णतया खाली होना व बाडे के रूप में होना अंकित किया गया है। तथा मौके पर निर्माण होने का कोई अंकन नहीं है तथा दिनांक 09.02.1994 को ही उक्त भूमि को कुर्क करते हुए कब्जा राज तहवील में लेने हुए थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीबालाजी को रिसीवर नियुक्त कर कब्जे में लेने का आदेश दिया गया तब से उक्त भूमि पर कब्जा पुलिस थानाधिकारी श्रीबालाजी का रहता आया है इससे

अतिरिक्त कलक्टर, नागौर

स्पष्ट है कि मौके पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कभी रहा ही नहीं व न ही अप्रार्थी संख्या एक का किसी भी प्रकार का कब्जा रहा तथा पत्रावली पेश करते समय भी उक्त भूमि कुर्क सुदा थी इसलिए उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा होने व मकान निर्मित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर कब्जा व उपयोग निर्माण किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं होते हुए भी गलत रूप से आवेदन पेश किया व मिलावट कर गलत प्रस्ताव लेकर प्रस्ताव लेकर पटटा जारी किया है व विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

2(8)– पटटा एवं प्रस्ताव जैर निगरानी की जानकारी प्रार्थी को शुरू से नहीं थी अभी हाल ही में प्रार्थी की पुस्तेनी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्रगण द्वारा जबरन कब्जा कर निर्माण करवाने पर उतारू होने व कोविड 19 के लोक डाउन के दौरान दिनांक 23.04.21 को पत्थर डालकर कब्जा करने पर उतारू होने व निर्माण करवाने पर उतारू होने पर प्रार्थी के पिता व उनके भाई द्वारा दीवानी वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश नागौर के समक्ष पेश करने पर अन्तरिम अस्थायी निषैधाज्ञा सुनवायी के दौरान वाद में अप्रार्थी संख्या एक के पुत्रगण द्वारा अपनी माता के नाम से जारी पटटे के संबंध में सूचना देने व प्रति पेश करने पर जानकारी होने पर प्रार्थी ने पटटा पत्रावली की नकल हेतु आवेदन पेश करने पर नकल जारी करने से इन्कार करने व तत्पश्चात पुनः प्रस्ताव व पटटा पत्रावली की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पेश करने पर दिनांक 02.07.21 को नकल जारी करने पर सर्व प्रथम जानकारी हुई इसलिए यह निगरानी पेश की है। धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानो में ऐसी निगरानी पेश करने की कोई समयावधि नहीं दी गई है व न ही कोई समयावधि निर्धारित की गई है इसलिए मयाद के प्रावधान निगरानी के संबंध में लागू नहीं होते है फिर भी प्रार्थी की ओर से मयाद के संबंध मे समुचित कारण दर्शित करते हुए आवेदन पेश किया है तथा पटटा व प्रस्ताव राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 में पटटा जारी करने के संबंध में अथवा आबादी भूमि के निस्तारण के संबंध मेंदिये गये प्रावधानो व नियम 141 से 160 में दिये गये प्रावधानो के विपरीत जाकर पारित किया गया है तथा आज्ञापक नियमो की पालना नहीं की गई है जो आदेश एक अवैध आदेश की श्रेणी में आता है जिसके विरूद्व निगरानी कभी भी प्रस्तुत की जा सकती है तथा इस संबंध में मयाद के बिन्दू भी लागू नहीं होते है इसलिए पटटा व प्रस्ताव जैर निगरानी नियम विरूद्व जारी किये गये है जो अपास्त होने योग्य है।

3(1) अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता का हस्तगत पट्टासुद सम्पति से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है न उसने सम्पूर्ण निगरानी में ऐसा कथन किया है न ऐसा कोई सबूत पेश किया है इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त पटटा को चुनोती देने व निगरानी पेश करने का उसे अधिकार नहीं होने व प्रार्थी की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से ऐसी निगरानी पोषणीय नहीं है खारिज किये जाने योग्य है।

3(2) उक्त पटटा ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपना कर पंचो की समिति गठित कर मौका निरीक्षण करवा कर विधिवत आपति नोटिस सूचना चस्पा करके व किसी प्रकार की आपति नहीं आने पर नियमानुसार पटटा जारी किया था, जिसकी सभी ग्रामवासियों को शुरू से ही भलीभांति जानकारी रही थी कि उक्त जायगा शुरू से ही अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जासुद हक अधिकार की थी व पटटा विधिवत जारी हुआ है। उक्त पटटा दिनांक 21.10.2014 में नियमानुसार जारी किया गया था, उसके 6–7 साल बांद इस तरह की निगरानी पेश करना कतई विधि सम्मत नहीं हैं इसके अलावा निगरानीकर्ता एक तरफ तो यह कह रहा है कि उसे पटटा व प्रस्ताव की पहले जानकारी नहीं थी व दूसरी तरफ यह लिय रहा है कि इस पटटा को जारी करने से पूर्व आपति नोटिस केवल ग्राम पंचायत के बोर्ड पर ही चस्पा किया था गांव में सार्वजनिक स्थल पर जारी नहीं किया था, इस तरह से दोनो कथन विरोधाभाषी है तथा प्रार्थी को शुरू से ही जानकारी होना स्पष्ट रूप से साबित है इस कारण निगरानी मियाद बाहर होने से इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

3(3) उक्त पटटासुद जायगा से संबंधित भूमि पर मौके पर शुरू से ही अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिजनों का कब्जा उपयोग उपभोग रहा है तथा मकान व उसके आगे दुकाने वगैरा बनी हुई थी जिसकी प्रार्थी सहित सम्पूर्ण ग्रामवासियों को भलीभांति जानकारी रही है। प्रार्थी भू माफियों गिरोह का सदस्य है तथा आस पास की अन्य खाली जगह पर नाजायज कब्जा करने पर अमादा होने से अप्रार्थी के परिवार वालों ने प्रार्थी को ऐसा करने से मना किया तो दबाव बनाने के लिए सलाह मशविरा करके मिथ्या निगरानी पेश की है। यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि उक्त पटटा विधिक प्रक्रिया के पश्चात जारी होने के बाद उसका विधिवत पंजीयन करवाया गया व कालान्तर में दिनांक 03.08.17 को अप्रार्थी संख्या 1 सम्पतकंवर ने अपने पुत्र गिरधारीसिंह को उक्त रजिस्टर्ड पटटासुदा जायगा का बख्शीशनामा निष्पादित कर उप पंजियक कार्यालय नागौर पंजीबद्व करवा दिया व मौके पर गिरधारीसिंह का कब्जा उपयोग उपभोग रहता चला आया है तथा उक्त तिथि से यानि 5 साल से गिरधारीसिंह ही कब्जासुद पटटासुद मालिक हुआ रहा व है लेकिन गिरधारीसिंह इस निगरानी में पक्षकार दर्ज नहीं है व अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व अनावश्यक निगरानी पेश हुई है इस आधार पर भी निगरानी पोषणीय नहीं है खारिज किये जाने योग्य है।

3(4) विधिक स्थिति के मध्य नजर पटटा व बख्शीशनामा दोनों ही रजिस्टर्ड दस्तावेज है और रजिस्टर्ड दस्तावेजों को खारिज करने आदि के संबंध में किसी भी प्रकार की निगरानी पोषणीय नहीं है इसके लिए केवल और केवल सिविल न्यायालय में ही कार्यवाही की जा सकती है उपरोक्त परिस्थितियों में निगरानी विधि विरूद्व होने से

अपर कलक्टर, नागौर

पोषणीय नहीं है। इसके अलावा यहां यह तथ्य भी दर्ज करना आवश्यक होगा कि उक्त जमीन ,मकान सहित अन्य आस–पास की जमीन के संबंध में जम्भेश्वर मन्दिर वालों ने मुकदमा करके धारा 145 सीआरपी.सी. में कुर्क करवाई, उस वक्त भी नक्शा में गुमानसिंह का बाडा नक्शा मौका में दर्ज किया गया था। उसके बाद जम्भेश्वर मन्दिर वालों ने इस बाबत अनापति भी जारी कर दी व कहा कि हमें अब इस संबंध में कुछ नहीं कहना है जिसमें भी उन्होने मकान व दुकान अप्रार्थी की मौके पर होना कथन किया है। इसके बलावा इस जमीन को कुर्की से बागुजस्त करने के लिए एसडीएम नागैर ने इस जमीन को कुर्की से मुक्त कर दिया जिसमें भी अप्रार्थी का मकान व दुकान होने का स्पष्ट अंकन है। इस तरह से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रार्थी सहित ग्रामवासीयो को जानकारी रहा है तथा उस समय तहसीलदार व थानाधिकारी से एसडीएम ने मौके की रिपोर्ट भी मांगी, जिस पर तहसीलदार नागौर ने दिनांक 01.10.19 को रिपोर्ट दी उसमें भी मकान का इन्द्राज किया हुआ है तथा पटटा भी बना होने का इन्द्राज किया हुआ है तथा पंचायत ने भी इसमें दिनांक 28.09.19 को बयान दिये है कि अप्रार्थी का मकान वगैरा बने हुए है जिसमें उन्हे आपति नहीं है व पुलिस थाना श्रीबालाजी की रिपोर्ट दिनांक 28.09.19 की आई जिसमें भी अप्रार्थी के मकान वगैरा निर्माण एवं कब्जे का पूर्ण उल्लेख है जिसमें भी पट्टे है जिसमें भी पटटे का उल्लेख हो रहा है तथा अलिख भारतीय विश्नोई समाज व ग्राम पंचायत ने भी इस बाबत आपति नहीं होना दर्ज किया है इसी आधार पर एसडीएम ने मौके पर मकान व पटटासुद सम्पति होना मानते हुए सम्पति को कुर्की से मुक्त किया था तथा सन 1994 से पहले से अप्रार्थी के पति का इस सम्पति पर कब्जा हक स्वामित्व माना गया है। उक्त पटटा को नियमानुसार Aspire Home Finance Corporation Ltd के यहां गिरवी रख कर ऋण भी लिया गया था तथा ऋण दाता संस्था ने मौके व रेकर्ड आदि की जांच कर ऋण स्वीकृत किया था। इस प्रकार मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा होने व उसके हक में जारी किया गया उक्त पटटा वैध व प्रभावी रहा है इतना ही नहीं न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नागौर द्वारा दीवानी प्रकरण संख्या 28/2021 बअनवान चेनसिंह बनाम रतनसिंह वगैरा में मौका रिपोर्ट मंगवाई उसमे भी इस मकान को दर्शाया गया है। इस प्रकार मौके पर कब्जा स्वीमित्व होने के बावजूद प्रार्थी ने अप्रार्थी का कब्जा नहीं होने व पटटा गलत जारी करने के संबंध में भ्रमित तथ्य दर्ज किये गये है व ऐसी निगरानी पेश करने का कोई अधिकार ही प्रार्थी को नहीं है उपरोक्त तमाम तथ्यो, परिस्थितियों में निगरानी किसी भी दृष्टि से विधि सम्मत नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पंचायत समिति नागौर, ग्राम पंचायत सेवडी द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 21.10.14 व पट्टा जो कि मिसल संख्या 01/2014–15 के जारी किया गया, को निरस्त किये जाने को लेकर निगरानी प्रस्तुत की गई। न्यायालय सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, नागौर के प्रकरण संख्या 07/1994 अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी निर्णय दिनांक 15.10.2019 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 के पति के कब्जे को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं बताया तथा शांतिपूर्वक कब्जा माना है, जिससे ज्ञात होता है कि उक्त जायगा पर अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा रहा है। ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अप्रार्थी द्वारा पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन पेश किया हुआ है, ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत् प्रस्ताव लिया गया, पट्टा जारी करने से पूर्व वार्ड पंचों की कमेठी गठित कर निरीक्षण रिपोर्ट लिया जाना प्रतीत होता है तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157 (ख) के अनुसार 200/– जमा कर पटटा जारी करने का विनिश्चय किया गया है तथा पत्रावली का भी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संधारण किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर